न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 25/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/210

1. **जसपाल सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 75 जीबी तहसील अनूपगढ़**

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. **पूर्व ग्राम पंचायत 78 जीबी हाल ग्रा.पं. 74 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ़**
2. **परमजीत कौर पत्नी बुध सिंह जाति मेहरा निवासी 75 जीबी तहसील अनूपगढ़**

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री हरीचन्द अरोड़ा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री हंसराज डाल, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रकरण(प्र.सं. 40/23) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा आदेश ग्राम पंचायत पूर्व 78 जीबी हाल 74 जीबी दिनांक 27.09.1983 जिसके द्वारा चक 75 जीबी का अहाता साईज 30 गुणा 45 फुट अप्रार्थी सं. 2 के नाम से विधि विरूद्ध चौक की भूमि का आवंटन किया गया हैं को निरस्त करने बाबत निगरानी मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. एवं 96 सीपीसी प्रस्तुत की हैं। पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्रों पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे अतः निगरानी से पूर्व प्रार्थना पत्रों का निर्णय किया जाना आवश्यक एवं उचित हैं।
2. निगरानीकर्ता प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि पटटा दिनांक 27.09.1983 के संबंध में निगरानीकर्ता ने पूर्व में पंचायत की थी और पंचायत के भी आवेदन पत्र दिये। सम्पर्क पोर्टल पर भी डाला लेकिन उन्होने यह कहा कि पटटा भले ही फर्जी हो लेकिन इसे जरिये निगरानी ही निरस्त करवाया जा सकता है तभी नाजायज कब्जा हटाया जावेगा। दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थी ने इसके रिकार्ड की छानबीन की, ग्राम पंचायत से कोई रिकार्ड मिला नहीं। एक फोटोकॉपी मिली उसे लेकर बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी अन्दर अवधि स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी मियाद बाहर हैं जो 40 वष बाद पेश की गयी हैं गैर निगरानीकर्ता सं. 2 द्वारा दलीप सिंह से जरिए बैयनामा वर्ष 1988 में उक्त भूखण्ड खरीद किया गया था। खरीद के रोज से भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा हैं। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 जिस जगह पर निवास कर रही है वह जगह आबादी भूमि की हैं। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 के घर के आस पड़ोस में चारों तरफ सैंकड़ों मकान हैं। निगरानीकर्ता द्वारा रंजिशवश झूठी निगरानी प्रस्तुत की गई है, क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा चक 75 जीबी के मु.नं. 36 के कि.नं. 21 में जो शमशान भूमि बनी हुई ,में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हैं जिसमें रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है इसलिए रंजिशवश यह निगरानी प्रस्तुत की हैं। निगरानी मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
3. उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। निगरानीकर्ता अधिवक्ता निवेदन किया कि निगरानीकता सद्भावी हैं, निगरानी इल्म से अन्दर मियाद पेश की गयी हैं। प्रकरण में लोकहित निहित हैं। सार्वजनिक चौक का पटटा जारी किया गया हैं। जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं। इसलिए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 2 निवेदन किया कि निगरानी 40 वर्ष की देरी से पेश की गयी हैं, लेकिन देरी के संबंध में ठोस कारण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा हैं। निगरानी बाहर मियाद होने के कारण पोषणीय व विचारण योग्य नहीं है। निगरानी अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीधीन प्रश्नगत पटटा दिनांक 27.09.1983 का हैं, निगरानी न्यायलाय में दिनांक 12.10.2022 को पेश की गयी हैं, जो कि पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा कमीपूर्ति के पश्चात दिनांक 02.03.2023 को दर्ज की गयी है। निगरानी लगभग 39 वर्ष की अवधि उपरान्त पेश की गयी हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया हैं जिसके आधार पर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य हो। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटीशन नं. 5906/2019 किशनाराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 अनुसार "Though it is true that the concept of delay does not apply in strict sense to the revisional jurisdiction conferred upon the District Collectr by virtue of Section 97 of the Panchayati Raj Act, but while entertaining a revision filesd after significant delay, the court has to remain mindful of the reasons behind the delay. If there is no justification whatsoever for the dela, then the revision should normally should not be entertained." उक्त प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते हैं। 39 वर्ष बाद निगरानी प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण/स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो जाने के कारण निगरानी पोषणीय नहीं होने से निगरानी निगरानीकर्ता इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08/07/2024 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़